फ़ूड स्टैम्प्स

जॉर्जिया के लोग अब यहाँ जॉर्जिया **COMPASS** के माध्यम से फ़ूड स्टैम्प्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं **www.compass.ga.gov!**

जॉर्जिया पूरक पोषाहार सहायता प्रोग्राम (SNAP) जिसे फ़ूड स्टैम्प प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, संघ द्वारा वित्त-पोषित प्रोग्राम है जिसमें कम-आय वाले परिवारों को भोजन की लागत के भुगतान में मदद करने के लिए मासिक लाभ प्रदान किया जाता है। परिवार अकेला रहने वाला व्यक्ति, परिवार, या अनेक, असंबंधित व्यक्ति हो सकते हैं जो एक साथ रह रहे हैं और नियमित रूप से भोजन साथ-साथ ख़रीदते और तैयार करते हैं।

फ़ूड स्टैम्प लाभ के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। यह प्रोग्राम सीमित आय और संसाधनों वाले परिवारों की मदद करता है।

लाभ के लिए आवेदन करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पात्रता की अपेक्षाओं के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ क्लिक करें।

आवेदन-पत्र तब भरा हुआ माना जाता है जब इसमें परिवार के मुखिया का नाम, पता, तिथि और परिवार के मुखिया या परिवार के किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर होते हैं और उसे स्थानीय काउंटी विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। आवेदन-पत्र परिवार और बाल सेवा विभाग में ऑनलाइन, निजी रूप से या डाक या फ़ैक्स से दाखिल किया जा सकता है।

Form 297 - लाभ के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए - यहाँ क्लिक करें।

आपका आवेदन-पत्र दाखिल हो जाने के बाद, DFCS का कर्मचारी आप या आपके परिवार के सदस्य का साक्षात्कार करेगा। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार किया जा रहा है, उसे आपके परिवार की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए।

बुजुर्ग/विकलांग व्यक्ति या कार्यालय में आने में समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए, साक्षात्कार फ़ोन, पूर्व-आयोजित घर पर विज़िट, या कार्यालय विज़िट से किया जा सकता है।

बुजुर्ग/विकलांग परिवार लाभ के लिए पात्र हो सकते हैं चाहे उनकी सकल आय की राशि कुछ भी हो। लाभ के लिए आवेदन करने के लिए, अपने परिवार और बाल सेवाओं के काउंटी विभाग से संपर्क करें या**COMPASS** की वेबसाइट पर पर जाएँ **www.compass.ga.gov.**

जॉर्जिया COMPASS पर ग्राहक फ़ूड स्टैम्प्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पूर्व-स्क्रीनिंग टूल के माध्यम से **DHS**सामाजिक सेवाएँ प्रोग्राम के लिए अपनी संभावित पात्रता की जाँच कर सकते हैं। जो ग्राहक जॉर्जिया COMPASS में खाता बनाते हैं, वे अपने आवेदन की स्थिति की जाँच ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही, जॉर्जिया COMPASS के माध्यम से कोई फ़ूड स्टैम्प प्राप्तकर्ता अपने परिवार की परिस्थितियों में बदलाव भी कर सकता है। **DHS** हमारे साथ आपके अनुभव को ज़्यादा तीव्र, दोस्ताना और आसान बनाने के लिए श्रम कर रही है! इस लिंक पर जॉर्जिया COMPASS आज ही आज़माएँ: **www.compass.ga.gov**

फ़ूड स्टैम्प प्रोग्राम के लिए नागरिक अधिकार-गैर-भेदभाव वक्तव्य

"संघीय क़ानून और अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के क़ानून के अनुसार, यह संस्था प्रजाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु, या विकलांगता के आधार पर भेदभाव करने से निषिद्ध है। **2008** के खाद्य और पोषण अधिनियम और USDA नीति के अंतर्गत, धर्म या राजनीतिक मान्यताओं के आधार पर भेदभाव भी निषिद्ध है।"

भेदभाव की शिकायत दाखिल करने के लिए, आप USDA से संपर्क कर सकते हैं। लिखें USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9411 या कॉल करें (800) 795-3272 (ध्वनि) या (202) 720-6382 (TTY)।

आप भेदभाव की शिकायत यहाँ संपर्क करके भी दाखिल कर सकते हैं DFCS Civil Rights Program, Two Peachtree Street, N.W., Suite 19-248, Atlanta, Georgia 30303 या कॉल करें (404) 657-3735 या फ़ैक्स करें (404) 463-3978.

काउंटी **DFCS** कार्यालय का पता लगाने के लिए - यहाँ क्लिक करें